न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/100 दायर दिनांक 25.04.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. विमलादेवी पत्नी मगनाराम जाति धानक निवासी सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकार 2. पुष्पादेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी बेरी कंला तहसील डीडवाना 3. लालाराम पुत्र होलाराम जाति मेघवाल निवासी क्यामसर तहसील डीडवाना 4. चेनाराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बेरी कंला तहसील डीडवाना	बनाम्	1. दुर्गादेवी पत्नी दानाराम जाति मेघवाल निवासी आसलसर तहसील डीडवाना 2. सिंजुदेवी पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी बांसा तहसील डीडवाना 3. मोटाराम पुत्र स्व0 दानाराम 4. रामचन्द्र पुत्र स्व0 परतु 5. नेमाराम पुत्र स्व0 परतु 6. कोयली बेवा स्व0 परतु 7. मल्लू पुत्र स्व0 किशनाराम 8. श्रवणराम दत्तक पुत्र मुन्नाराम 9. मोहनराम पुत्र मागुराम 10. जेठाराम पुत्र मांगुराम समस्त जाति मेघवाल निवासी दीनदारपुरा 11. तहसीलदार डीडवाना 12. यूको बैंक शाखा बेरी छोटी

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री शरीफ खां, अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।

—:: प्राथमिक निर्णय ::—

दिनांक **05.05.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद दीनदारपुरा पटवार हल्का दीनदारपुरा में स्थित खेत खसरा सं0 234 रकबा 78 बीघा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 तक का संयुक्त रूप से 3/4 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 09 व 10 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा मौजुद है तथा मौके पर पक्षकारान अलग अलग रूप से अपने हक हिस्सेनुसार काबिज चले आ रहे है। परन्तु इनके बीच बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो रखा है। खेत खसरा सं0 234 रकबा 78 बीघा में से पूर्व खातेदार घासीराम द्वारा अपने कब्जे व हक अधिकार की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 10.09.2014 से अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/8 अर्थात 195/1560 वां हिस्सा को वादीगण को बेचान कर दी थी तथा पूर्व खातेदार घासीराम द्वारा वादीगण को जिस भूमि पर वह काबिज था उसने वही भूमि वादीगण को कब्जा सुपुर्द की थी जिस पर उस समय उक्त भूमि पर वादीगण काबिज हुये तथा जरिये नामान्तरकरण सं0 589 से खातेदार घासीराम की जगह वादीगण का नाम खातेदारी में अंकित हो गया। उक्त रजिस्टर्ड बेचान की प्रति वाद के साथ पेश है। वादीगण द्वारा इस खसरा के

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2014/253
दायर दिनांक 11.12.2014, प्राथमिक निर्णय दिनांक 20.02.2017
खेताराम बनाम जोधाराम, वगैरा।

1/8 हक हिस्से की भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 28.10.2016 को प्रतिवादी सं0 1 दुर्गादेवी व प्रतिवादी सं0 02 श्रीमती सिंजुदेवी को 03 बीघा भूमि अर्थात 60/1560 वां हिस्सा का बेचान कर दिया। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 व 02 की भूमि तथा इनके मध्य रखे गये रास्ता की भूमि को नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। खातेदार परतु का इन्तकाल हो जाने से उसके वारिसान प्रतिवादी सं0 04 से 06 तक को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि सरहद दीनदारपुरा के खसरा सं0 234 रकबा 78 बीघा में से वादीगण का 135/1560 वां हिस्सा को अलग अलग रूप से प्रत्येक वादी की तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 का 60/1560 वां हिस्सा भूमि अलग अलग रूप से व रास्ता भूमि भी नजरी नक्शा अनुसार घोषित की जाकर संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती के ओदश सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत बाबत् जरिये सम्मन तलब किये गया।

प्रतिवादीगण संख्याा 01 ता 12 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद दीनदारपुरा के विवादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर सरहद दीनदारपुरा में स्थित खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 78 बीघा का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। तहसीलदार, डीडवाना विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो–दो प्रतियों में पेश करें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 05.05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

Scanned by CamScanner

अंतिम डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/100** दायर दिनांक **25.04.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. विमलादेवी पत्नी मगनाराम, जाति धानक निवासी सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर वगैराह	**बनाम्**	1. दुर्गादेवी पत्नी दानाराम जाति मेघवाल निवासी आसलसर वगैराह तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरस्ती, घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक **13.06.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् उपस्थित ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर सरहद दीनदारपुरा के खेत खसरा नम्बर 234 रकबा 78 बीघा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव में वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकार्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **13.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—दीनदारपुरा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner